न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00095

1. बबली आयु 38 वर्ष पुत्री रामदेव पत्नी घांसी लाल जाति चमार मेघवंशी निवासी रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. कमलेश आयु 40 वर्ष पुत्री रामदेव पत्नी गोपाल जाति चमार मेघवंशी निवासी मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. टोनी पुत्र सुमित्रा दोहिता रामदेव आयु 25 वर्ष ।
4. कालू उर्फ कृष्णमुरारी आयु 23 वर्ष पुत्र सुमित्रा दोहिता रामदेव जाति चमार मेघवंशी निवासी भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. सरोज पुत्री सुमित्रा दोहिती रामदेव जाति चमार मेघवंशी निवासी भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. मोहन लाल पुत्र धूल्या जाति धाकड ।
2. हमीद पुत्र मोहम्मद जाति मुसलमान निवासीगण रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. सीताराम पुत्र देवलाल जाति मेहर निवासी देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. रामेश्वर प्रसाद पुत्र पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
5. ओमप्रकाश पुत्र पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
6. माधो लाल पुत्र पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
7. महावीर प्रसाद पुत्र पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
8. धन्नी बाई पुत्री पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
9. कमला बाई पुत्री पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
10. सुशीला बाई पुत्री पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली निवासीगण रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
11. आशू पुत्र रामदेव जाति चमार मेघवंशी निवासी रंगतालाबि उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
12. हजारी लाल पुत्र मोडू लाल जाति चमार मेघवंशी निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
13. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 2020/00096

1. बबली आयु 38 वर्ष पुत्री रामदेव पत्नी घांसी लाल जाति चमार मेघवंशी निवासी रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. कमलेश आयु 40 वर्ष पुत्री रामदेव पत्नी गोपाल जाति चमार मेघवंशी निवासी मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. टोनी पुत्र सुमित्रा दोहिता रामदेव आयु 25 वर्ष ।
4. कालू उर्फ कृष्णमुरारी आयु 23 वर्ष पुत्र सुमित्रा दोहिता रामदेव जाति चमार मेघवंशी निवासी भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. सरोज पुत्री सुमित्रा दोहिती रामदेव जाति चमार मेघवंशी निवासी भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. बाबू हुसैन
2. बशीर मोहम्मद
3. नजीर मोहम्मद
4. अब्दुल सलाम पिसरान जमाल खॉ जाति मुसलमान निवासी रंगतालाब उर्फ काला तालाब लाडपुरा जिला कोटा ।
5. रूक्कन बानो पुत्री ईदा बानो बेवा जमाल खॉ ।
6. शरीफ मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद ।
7. सलीम मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी रंग तालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. नसीम बानो पुत्री शकूरन बानो बेवा नूर मोहम्मद ।
9. शमीम बानो पुत्री शकूरन बानो बेवा नूर मोहम्मद ।
10. छोटू पुत्र चांद खॉ जाति मुसलमान निवासीगण रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
11. मोहन लाल पुत्र धूल्या जाति धाकड ।
12. रामेश्वर प्रसाद पुत्र पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
13. ओमप्रकाश पुत्र पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
14. माधो लाल पुत्र पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
15. महावीर प्रसाद पुत्र पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
16. धन्नी बाई पुत्री पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
17. कमला बाई पुत्री पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
18. सुशीला बाई पुत्री पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली निवासीगण रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
19. आशू पुत्र रामदेव जाति चमार मेघवंशी निवासी रंगतालाबि उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

20. हजारी लाल पुत्र मोडू लाल जाति चमार मेघवंशी निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
21. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल,अभिभाषक, रेस्पोडेन्टगण की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 06.08.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलों में समान पक्षकार होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने से तथा समान प्रकृति की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग– अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. अपील संख्या 2020/00095 में प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 12 एवं वादीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद संख्या 78/2019 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रंग तालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा में वादीगण के दादा व पिता मोडू जी के खाते व कब्जे की आराजी खसरा नम्बरर 99 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा भूमि माफी खिदमती मोडू वल्द हीरा चमार के पूर्व दर्ज रिकॉर्ड थी । गत सेटलमेंट में मोडू जी की मृत्यु के उपरान्त रामदेव जो सबसे बडा पुत्र था उसने चुपचाप सेटलमेंट अधिकारियों से मिलीभगत करके अपना नाम दर्ज करवा लिया जबकि उनकी और अन्य समस्त आराजियात में मोडू के तीनों वारिस रामदेव, हजारी लाल व नन्दकिशोर दर्ज हुए हैं और इसी अनुरूप उक्त आराजी में भी रामदेव, हजारी लाल व नन्दकिशोर का नाम दर्ज किया जाना चाहिए था क्योंकि मोडू जी के जायज उत्तराधिकारी सभी अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी थे । मोडू जी की मृत्यु के बाद रामदेव हजारी व नन्दकिशोर उत्तराधिकारी थे जिनमें रामदेव की मृत्यु हो चुकी है तथा नन्दकिशोर लाऔलाद फौत हुआ है और हजारी स्वयं मौजूद है । इसलिए उक्त आराजी को हजारी एवं रामदेव के वारिसान मोडू जी के जायज उत्तराधिकारी होने से एवं पुश्तैनी आराजी होने से वादीगण उक्त आराजी में जन्म से अपना नाम 1/2 में दर्ज कराने अधिकारी हैं । सेटलमेंट में खसरा नम्बर 99 के नये नम्बर 347 की 08 बीघा 15 बिस्वा व 347/421 की 06 बीघा 10 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड की और हाल सेटलमेंट में गत खसरा नम्बर 347 व 347/421 के नये नम्बर 525 की 1.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 571 की रकबा 0.81 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 571/610 की 0.34 हैकटर कायम किये गये हैं जो गत रकबे अनुसार 2.44

हैक्टर बनते हैं किन्तु 2.37 हैक्टर रकबा दर्ज किया है-जिसे भी पूर्ण कराकर दुरूस्वा करवा कर वादीगण हजारी लाल व रामदेव के वारिसान अपने 1/2 – 1/2 में दर्ज खाते दर्ज कराने के अधिकारी हैं । प्रतिवादीगण कम 01 मोहन लाल धाकड ने गलत रूप से सेटलमेंट से मिलीभगत करके खसरा नम्बर 571 की 0.81 हैक्टर भूमि अपने नाम दर्ज करा ली एवं प्रतिवादी कम 02 हमीद ने 525 के दो टुकडे कराकर 525/699 की 1.04 हैक्टर अपने नाम दर्ज करवाकर खसरा नम्बर 525 की 0.18 हैक्टर सीताराम मेहर के नाम दर्ज करा ली । इसी प्रकार प्रतिवादी कम 04 पार्वती बाई ने खसरा नम्बर 571/610 की 0.34 हैक्टर सेटलमेंट से मिलीभगत कर अपने नाम दर्ज करवा ली जिनको दर्ज कराने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था क्योंकि वादीगण के दादा मोडू लाल पुत्र हीरा जाति से चमार थे और अनुसूचित जाति के सदस्य थे । अनुसूचित जाति की भूमि सवर्ण जाति का व्यक्ति अपने खाते दर्ज नहीं करा सकता और धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार उक्त सभी प्रतिवादी कम 1 लगायत 10 का नाम कानूनन प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य व अवैधानिक होने से दुरूस्त कर हटाया जाना न्यायोचित है एवं उक्त आराजी पुश्तैनी आराजी होने से एवं वादीगण उक्त आराजी के हकदार व उत्तराधिकारी होने से दुरूस्त करवाकर अपने नाम 1/2 में खातेदार घोषित होने एवं बंटवारा करवाकर पृथक–पृथक खाते दर्ज कराने के अधिकारी हैं ।

4. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की मद संख्या 04 में वर्णित आराजी नया खसरा नम्बर 525 की 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 525/699 की 1.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 571 की 0.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 571/610 की 0.34 हैक्टर कुल 2.37 हैक्टर आराजी वाके ग्राम रंगतालाब उर्फ काला तालाब का वादीगण एवं प्रतिवादी कम 11 को खातेदार घोषित करते हुए उक्त आराजी प्रतिवादी कम 1 लगायत 10 के खाते से हटायी जाकर वादीगण व प्रतिवादी कम 11 के खाते में दर्ज की जावे । गत खसरा नम्बर 347 व 347/421 की 15 बीघा 05 बिस्वा भूमि के नये रकबा 0.07 हैक्टर जो कम दर्ज की गई है उसका रकबा गत रकबे 15 बीघा 05 बिस्वा के आधार पर 2.44 हैक्टर दर्ज किया जावे और इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे । वादग्रस्त आराजी का वादीगण एंव प्रतिवादी कम 11 के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर 1/2 हिस्से की भूमि का वादी कम 01 व 1/2 हिस्से का रामदेव के वारिस को खातेदार घोषित किया जावे तथा विभाजन में प्राप्त भूमि को पृथक वादीगण के नाम दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण को उनके हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि में उनके कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें । वादग्रस्त आराजी के किसी भी भाग को अनाधिकृत तरीके से खुर्द–बुर्द, विक्रय व हस्तान्तरित नहीं करें और न कि भूमि की किस्म परिवर्तन करावें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

5. प्रतिवादीगण कम 1 व 2, 4 लगायत 10 ने परीक्षण न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के केता है । खसरा नम्बर 347 की 03 बीघा 15 बिस्वा आराजी की केता श्रीमती पार्वती बाई पत्नी श्री सूरजमल जाति माली की मृत्यु हो चुकी है । प्रतिवादीगण कम 4 लगायत 10 उसके पुत्र व पुत्रियों होने से उसके वारिसान हैं उक्त भूमि प्रतिवादीगण के खाते सही रूप से नियमानुसारदर्ज की गई है प्रार्थीगण को यह दावा प्रस्तुत करने के लिए कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है । वादकारण के अभाव में वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है । विकेता रामदेव जी द्वारा प्रतिवादी कम 1, 2 एवं श्रीमती पार्वती बाई को उक्त भूमि जरिये

पंजीकृत विकय पत्र बेचान कर दी थी । उक्त भूमि पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर एवं प्रतिवादी कम 02 हमीद के पक्ष में पारित निर्णय व डिकी के आधार पर उक्त कयशुदा भूमि उनके खाते दर्ज की गई है । विकेता पूर्व खातेदार द्वारा भूमि विकय कर देने से एवं उनके द्वारा कब्जा वापस प्राप्त करने की मियाद समाप्त हो जाने से उनके भूमि पर हक हकूक समाप्त हो गये हैं । वादीगण ने झूठे तथ्यों के आधार पर तथ्यों को छुपाकर उक्त वाद पेश किया है । राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय द्वारा प्रतिवादी कम 02 के पक्ष में पारित निर्णय व डिकी की पालना में उक्त भूमि प्रतिवादी कम 02 के खाते दर्ज की गई है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा पोषनीय नहीं है एवं खारिज होने योग्य है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे ।

6. अपील संख्या 2020/00096 में प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 12 एवं वादीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद 46/2019 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रंग तालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा में वादीगण के दादा व पिता मोडू जी के खाते व कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 108 की 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 345 की 14 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 346 की 06 बीघा, खसरा नम्बर 345/422 की 04 बीघा 10 बिस्वा कुल 04 किता की रकबा 25 बीघा भूमि स्थित थी जो मोडू जी की मृत्यु के बाद उनके वारिसान रामदेव, हजारी व नन्दकिशोर के खाते दर्ज हुई । नन्दकिशोर लाऔलाद फौत हो चुका है । हजारी व रामदेव के वारिसान उक्त आराजी में 1/2 – 1/2 हिस्से पर जन्म से हक निहित होने से काबिज चले आ रहे हैं । सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त आराजी के नये खसरा नम्बर 154 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 345 रकबा 14 बीघा 05 बिस्वा के नये नम्बर 568 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 589 रकबा 0.93 हैक्टर, खसरा नम्बर 570 रकबा 0.17 हैक्टर कायम किये गये हैं एवं खसरा नम्बर 346 की 06 बीघा नये नम्बर 572 रकबा 1.11 हैक्टर व 345/422 की 04 बीघा 10 बिस्वा के नये नम्बर 534 रकबा 1.12 हैक्टर कायम किये गये हैं । उक्त आराजी मोडू जी के खाते होने से पुश्तैनी भूमि है और उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान रामदेव, हजारी व नन्दकिशोर के संयुक्त खाते में दर्ज हुई है जो वादीगण कम 1 लगायत 6 एवं 19 के उत्तराधिकारी होने से उक्त आराजी को विधिवत संयुक्त खाते में दर्ज कराने के अधिकारी हैं । किन्तु सेटलमेंट विभाग ने आराजी खसरा नम्बर 154 रकबा 0.03 हैक्टर को रामदेव, हजारी व नन्दकिशोर के दर्ज कर रखा है शेष भूमियॉ प्रतिवादी कम 1 लगायत 18 के गलत रूप से दर्ज कर दी गई जबकि प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 18 जाति से सवर्ण हैं और वादीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं । सेटलमेंट अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजस्व रिकॉर्ड में फेरबदल करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

7. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिकी पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादी कम 19 को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे । प्रतिवादी कम 1 लगायत 18 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर दुरूस्त किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी के किसी भी भाग को अनाधिकृत तरीके से खुर्द–बुर्द, विकय व हस्तान्तरित नहीं करें और न कि भूमि की किस्म परिवर्तन करावें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

8. प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 18 ने परीक्षण न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के केता है । केता जमाल खॉ, छोटू उर्फ छोटे मोहम्मद एवं श्रीमती पार्वती बाई के खाते उनके द्वारा कयशुदा भूमि सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी के आधार पर दर्ज की गई है । वादीगण द्वारा उक्त निर्णय एंव डिकी के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की जो खारिज फरमाई जा चुकी है । अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा पोषनीय नहीं है एवं खारिज होने योग्य है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे ।

9. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.02.2020 के द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर दोनों वाद संख्या 78/2019 एवं 46/2019 खारिज कर दिये ।

10. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.02.2020 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में दोनों अपीलें संख्या 2020/00095 एवं अपील संख्या 2020/00096 प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त करने का कथन किया ।

11. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

12. अपील संख्या 2020/00095 में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा में वादीगण के दादा एवं पिता मोडू के कब्जे एवं खाते की आराजी खसरा नम्बर 99 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा स्थित है । गलत रूप से सेटलमेंट विभाग ने आराजी मोडू जी के सबसे बडे पुत्र रामदेव के खाते में दर्ज कर दी जबकि मोडू जी के 03 वारिस रामदेव जी हजारी व नन्दकिशोर थी जो नाबालिग थे । इन तीनों का नाम रिकॉर्ड में आना चाहिए थे । रामदेव जी की मृत्यु हो चुकी है । नन्दकिशोर लाऔलाद फौत हुए हैं और हजारी लाल मौजूद हैं । इस आराजी में रामदेव के वारिसान का 1/2 हिस्सा और हजारी एवं हजारी के वारिसान का 1/2 हिस्सा निहित है । सेटलमेंट से इसके नये नम्बर 347 रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 347 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा बने उसके उपरान्त पुनः सेटलमेंट हुआ और इसके नये नम्बर 525 रकबा 1.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 571 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 571 रकबा 610 रकबा 0.34 हैकटर कायम हुए । इस प्रकार 0.07 हैक्टर आराजी कम दर्ज की गई जबकि मौके पर पूर्ण रकबा मौजूद है । इस आराजी का रामदेव एवं हजारी बंटवारा करवा कर अपने खाते में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं । इस कारण हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया था । दावे में जवाबदावा आने के उपरान्त तनकीयात कायम कर साक्ष्य के आधार पर निर्णय करना चाहिए था परन्तु इसको आदेश 07 नियम 11 मे खारिज किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । घोषणा एवं बंटवारे के दावे की कोई मियाद नहीं होती है । आराजी पुश्तैनी है जिसमें वादीगण का जन्म से ही अधिकार है । वादीगण गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर बंटवारा करवाने के अधिकारी हैं । वादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य हैं । आराजी को सवर्ण के खाते में दर्ज नहीं किया जा सकता और न ही कय किया जा सकता है न ही किसी प्रकार के राजीनामे के आधार पर सवर्ण के नाम दर्ज की जा सकती है । वादीगण इस आराजी को अपने नाम दर्ज करवाने और बंटवारा

करवाने के अधिकारी हैं । इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजरअन्दाज किया गया है । अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत नजीरों को परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में उल्लेखित नहीं किया है ।

13. अपील संख्या 2020/00096 में विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रंग तालाब उर्फ काला तालाब में वादीगण के दादा एवं पिता मोडू के खाते एवं कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 108 की 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 345 की 14 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 346 की 06 बीघा, खसरा नम्बर 345 की 04 बीघा 10 बिस्वा कुल 25 बीघा भूमि स्थित थी जो मोडूलाल के खाते में दर्ज है उनकी मृत्यु के बाद रामदेव, हजारी और नन्दकिशोर के खाते में दर्ज हो चुकी है । नन्दकिशोर लाऔलाद फौत हुए हैं । हजारी एवं रामदेव का 1/2 – 1/2 हिस्सा है । सेटलमेंट के बाद इसके नये नम्बर 154 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 568 रकाब 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 569 रकबा 0.93 हैक्टर, खसरा नम्बर 570 रकबा 0.17 हैक्टर कायम किया गया । खसरा नम्बर 346 के नये नम्बर 572 रकबा 1.11 हैक्टर और खसरा नम्बर 534 रकबा 1.12 हैकटर कायम किये गये । आराजी पैतृक है जिसको वादीगण अपने खाते दर्ज करवाने और बंटवारा प्राप्त कराने के अधिकारी हैं । वादीगण और प्रतिवादीगण संख्या 19 अनुसूचित जाति के सदस्य है । आराजी का विक्रय नहीं किया जा सकता और न किसी राजीनामे के आधार पर किसी का नाम दर्ज किया जा सकता है परन्तु उक्त आराजियात में से खसरा नम्बर 154 की 0.03 हैक्टर को छोडकर शेष आराजियात रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 18 के खाते में दर्ज की गई है जिसको दुरूस्त करवाकर वादीगण द्वारा प्रतिवादी 19 अपने खाते में दर्ज करवाने और बंटवारा कराने के अधिकारी हैं । परीक्षण न्यायालय ने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत दावा खारिज किया है जबकि जवाबदावा लेकर तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था । रिकॉर्ड में हजारी और नन्दकिशोर नाबालिग थे वो बालिग कब हुए यह रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2020 निरस्त फरमाये जावें । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1992 पेज 29, आरआरडी 1984 पेज 280, आरआरटी 2018 (1) पेज 534, डीएनजे 2013 (1) (राज0) पेज 498, डीएनजे 2016 (4) पेज 1734, डीएनजे 2016 (4) पेज 1592, आरआरटी 2018 (2) 1329, आरआरटी 2003 (1) 633, आरआरडी 1992 पेज 114, आरआरटी 2003 (1) पेज 724, आरआरटी 2005 (1) पेज 500, आरआरटी 2003 पेज 780 उद्धरत की ।

14. अपील संख्या 2020/00095 में रेस्पोडेन्ट की ओर से आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है और प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये की प्रार्थना की है । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में सिविल न्यायालय में पेश प्रकरण संख्या 88/2019 हजारी लाल बनाम रामेश्वर प्रसाद आदि में पारित निर्णय दिनांक 20/02/2020 की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसके अनुसार वादी हजारी एवं अन्य का दावा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के तहत खारिज किया गया है । न्यायालय में वादीगण द्वारा पेश किये दावे की फोटो पव्रति भी पेश की गई है पेश किये गये दस्तावेजात में से न्यायालय के निर्णय की प्रति प्रमाणित है और दावे की फोटो प्रति है ।

15. प्रार्थना पत्र का जवाब विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा पेश किया गया है जिसमें यह कथन किया गया है कि निर्णय सन् 2020 का है जसको पूर्व में ही पेश किया जा सकता था

प्रकरण को लम्बा करने के लिए इस समय पेश किया गया है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

16. प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षीय बहस सुनी गई । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.02.2020 निर्णय की प्रमाणित प्रति है और प्रकरण से सम्बन्धित है । इस कारण प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी आंशिक रूप से स्वीकार कर इसे रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

17. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने फर्द के साथ भू–प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय दिनांक 10.03.1986 के निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसमें भू–प्रबन्ध अधिकारी ने खसरा नम्बर 346 रकबा 06 बीघा के लिए सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय को अपास्त किया है । इसके अलावा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 16.12.2018 की फोटो प्रति, सहायक कलक्टर कोटा के निर्णय दिनांक 22.09.1987 की फोटो प्रति, पार्वती द्वारा सहायक कलक्टर में पेश किये गये दावे की फोटो प्रति, जवाबदावे की फोटो प्रति, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष पेश की गई अपील की फोटो प्रति पेश की गई हैं जो शामिल मिसल की गई ।

18. सहायक कलक्टर कोटा के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.09.1987 से पार्वती बाई का दावा साबिक खसरा नम्बर 346 रकबा 06 बीघा के लिए डिक्री किया गया है और न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 26.04.1990 के अनुसार वादी हमीद द्वारा रामदेव, नन्दकिशोर एंव हजारी के खलाफ साबिक खसरा नम्बर 347/421 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा के लिए हक घोषणा का दावा पेश किया गया था जो सहायक कलक्टर के द्वारा खारिज किया गया है इसके खिलाफ अपील पेश होने पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा अपील स्वीकार कर वादी को खसरा नम्बर 347/421 की आराजी रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा के लिए खातेदार घोषित किया गया ।

19. अपील संख्या 2020/00095 में विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर दोनों दावे परीक्षण न्यायालय में पेश किये हैं । दावा संख्या 78/2019 में वादीगण ने ये गलत तथ्य अंकित किये हैं कि वादग्रस्त आराजी सेटलमेंट विभाग ने गलत रूप से प्रतिवादीगण के खाते दर्ज की है जबकि प्रतिवादीगण इस अराजी के सद्भावी केता हैं । खसरा नम्बर 347 की 03 बीघा 15 बिस्वा की आराजी पार्वती बाई पत्नी सूरजमल ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी । पार्वती बाई की मृत्यु हो चुकी है । प्रतिवादीगण 4 लगायत 10 उनके पुत्र पुत्रियॉं हैं । प्रार्थी को दावा पेश करने का कोई वादकारण नहीं है । प्रतिवादीगण संख्या 02 हमीद के पक्ष में न्यायालय की डिक्री से यह आराजी उनके खाते में दर्ज की गई है । विकेता के द्वारा आराजी पूर्व में विक्रय की जा चुकी है और कब्जा दिया जा चुका है अब इस आराजी में वादीगण का कोई अधिकार शेष नहीं बचा है । कब्जा प्राप्त करने की अवधि भी समाप्त हो चुकी है । लैण्ड होल्डर के द्वारा धारा 175 की कार्यवाही भी समाप्त की जा चुकी है । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय की अनुपालना में आराजी हमीद के खाते में दज की गई है । प्रतिवादीगण रामदेव, हजारी लाल एवं नन्दकिशोर के द्वारा इकबाली जवाब पेश किया गया था ।

20. अपील संख्या 2020/00096 में विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादीगण क्रम 10 व 11 वादग्रस्त आराजी के सद्भावी केता है और प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 9 जमाल खॉं के वारिस हैं । प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 18 पार्वती के वारिस हैं ।

प्रतिवादी कम 11 मोहन लाल के खाते में यह आराजी पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर दर्ज की गई गई है । केता जमालखॉ, छोटू और पार्वती बाई के खाते में यह आराजी सक्षम न्यायालय के निर्णय एवं डिकी के आधार पर दर्ज की गई है जिस पर प्रतिवादीगण निरन्तर काबिज हैं । वादीगण ने इस डिकी के खिलाफ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष अपील पेश की थी वो खारिज हो चुकी है इस करण उनको इस दावे को लाने का कोई वादकारण नहीं है । वादीगण की कब्जा प्राप्त करने की अवधि भी समाप्त हो चुकी है । झूठे तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया गया है । महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा जो अनुसूचित जाति की सूची जारी की जाती है उसमें जो जाति अंकित होती है उसे ही अनुसूचित जाति में शामिल किया जाता है किसी अन्य जाति को नहीं । वादीगण की जाति अनुसूचित जाति में शामिल नहीं है । परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 26.02.2020 बहाल रखे जावें । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 1990 (एससी) पेज 991, एआईआर 1969 पेज 597, आरबीजे 2018 पेज 193, 1984 आरआरडी पेज 380, डीएनजे 2016 (एससी) पेज 258, डीएनजे 2017 (1) पेज 01, आरएलडब्ल्यू 2008 (2) पेज 1390, डीएनजे 2020 (राज0) (03) पेज 826, आरबीजे (7) 2000 पेज 64, डीएनजे 2014 (एससी) पेज 317, आरआरटी 2014 (2) पेज 1379, आरआरटी 2006 (1) (एससी) पेज 383, आरआरटी 2014 (2) पेज 1389, आरआरडी 1994 पेज 659, आरआरडी 1989 पेज 774 उद्धरत की ।

21. अपील संख्या 2020/00096 में भी आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ सिविल न्यायालय के निर्णय प्रकरण संख्या 89/19 दिनांक 20.02.2020 की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसके अनुसार आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत वादीगण का दावा खारिज किया गया है । प्रार्थना पत्र के साथ पेश सिविल न्यायालय के निर्णय की प्रति प्रमाणित प्रति है व इस प्रकरण से सम्बन्धित है । अतः प्रार्थना पत्र पर आंशिक रूप से स्वीकार कर इसे रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है । हजारी लाल के द्वारा पेश किये गये दावे की फोटो प्रति पेश की गई है और विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने भू–प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय दिनांक 10.03.1986 की प्रमाणित प्रति भी पेश की है जो शामिल मिसल की गई ।

22. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा संख्या 78/2019 वादीगण हजारी लाल एवं अन्य ने मोहन लाल एवं अन्य के खिलाफ पेश किया है । दावे में यह कथन किया है कि साबिक खसरा नम्बर 99 की आराजी रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा मोडू वल्द हीरा के खाते में दर्ज थी । मोडू के सबसे बडे पुत्र रामदेव ने चुपचाप इस आराजी को अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि उनके 02 पुत्र और हजारी लाल एवं नन्दकिशोर मौजूद थे । नन्दकिशोर लाऔलाद फौत हुआ है । रामदेव की मृत्यु हो चुकी है, हजारी जीवित है । वादग्रस्त आराजी में रामदेव के वारिस और हजारी 1/2 – 1/2 हिस्सा दर्ज कराने के अधिकारी हैं । सेटलमेंट ने साबिक खसरा नम्बर 99 के नये नम्बर 347 रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 347/421 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा कायम किये और हाल सेटलमेंट ने इसके नये नम्बर 525 रकबा 1.22 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 571 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 571/610 रकबा 0.34 हैक्टर कायम किये हैं जो गत के मुकाबले 0.07 हैक्टर कम है । प्रतिवादी संख्या 01 मोहनलाल ने गलत रूप से खसरा नम्बर 571 की आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली है और

प्रतिवादी संख्या 02 हमीद ने खसरा नम्बर 525 के दो टुकडे करवाकर खसरा नम्बर 525/699 रकबा 1.04 हैक्टर अपने नाम दर्ज करवा है और खसरा नम्बर 525 रकबा 0.18 हैक्टर सीताराम के नाम दर्ज करवाया है । पार्वती बाई ने खसरा नम्बर 571/610 की 0.34 हैक्टर अपने नाम दर्ज करवा ली है जिसका उन्हें काई अधिकार नहीं है । वादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य हैं । धारा 42 बी के उल्लंघन में यह इन्द्राज किया गया है । अतः दावा वादी डिक्री किया जावे ।

23. दावे में वादिनी कम 02 के द्वारा दिनांक 19.12.2019 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर यह कथन किया है कि वह अपने भाग का खसरा नम्बर 699/525 का त्याग करती है । इसके उपरान्त वादी हजारी लाल ने उसी आराजी के बाबत् परित्याग का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । तदुपरान्त वादी संख्या 4, 5 व 6 के द्वारा भी खसरा नम्बर 525 जिनके गत खसरा नम्बर 347/421 अंकित किये गये हैं के बाबत् अपने दावे को परित्याग करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है ।

24. एक प्रार्थना पत्र वादिनी बबली के ओर से दिनाक 11.02.2020 को पेश किया गया है जिसमें खसरा नम्बर 699/525 के बाबत् अपने दावे का परित्याग करने का कथन किया गया है ।

25. इसके उपरान्त एक प्रार्थना पत्र वादिनी बबली, टोनी, कालू की ओर से जरिये अभिभाषक पेश किया गया है जिसमें यह कथन किया है कि आदेश 23 नियम 01 और धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अन्य वकील के माध्यम से बिना एन0ओ0सी0 के माध्यम से पेश किया गया है जो खारिज किया जावे ।

26. प्रतिवादी की ओर से आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसका जवाब वादीगण की ओर से पेश किया गया है ।

27. पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी हाल खसरा नम्बर 699/525 रकबा 1.04 हैक्टर संलग्न है जिसमें यह आराजी हमीद पिता मोहम्मद के खाते में दर्ज है और नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 571/610 और खसरा नम्बर 572 कुल 02 किता की 1.45 हैक्टर आराजी रामेश्वर प्रसाद, ओमप्रकाश आदि के खाते में दर्ज है । खसरा नम्बर 525 की 0.18 हैक्टर आराजी सीताराम के खाते में और मोहनलाल के खाते में कुल 06 किता की 7.67 हैक्टर आराजी दर्ज है जिसमें खसरा नम्बर 571 रकाब 0.18 हैक्टर आराजी शामिल है । पत्रावली पर नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2038–57 संलग्न है जिसमें रामदेव के खाते में खसरा नम्बर 525 और 571 की कुल 02 किता की 1.56 हैक्टर आराजी दर्ज है और मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 347 मिन के हाल खसरा नम्बर 571 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 347 मिन के हाल खसरा नम्बर 571/610 रकबा 0.34 हैकटर और साबिक खसरा नम्बर 347/421 के हाल खसरा नम्बर 525 रकबा 1.22 कायम किये गये हैं । नकल जमाबन्दी संवत् 2016–24 के अनुसार रामदेव के खाते में खसरा नम्बर 347 की 08 बीघा 15 बिस्वा और खसरा नम्बर 347/421 की 06 बीघा 10 बिस्वा आराजी दर्ज है । इसके अलावा नामान्तरकरण सख्या 206 की फोटो प्रति भी पत्रावली पर संलग्न है जिसके अनुसार विकय के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 525 की रकबा 0.18 हैक्टर सीताराम के खाते दर्ज हुई है । पत्रावली पर सहायक कलक्टर कोटा के समक्ष हमीद की ओर से रामदेव एवं अन्य के खिलाफ पेश किये गये दावे की फोटो प्रति भी संलग्न है जिसमें उनके द्वारा खसरा नम्बर 347/421 की 06 बीघा 10 बिस्वा के लिए हक घोषणा का दावा पेश किया है इस दावे में प्रतिवादीगण रामदेव, हजारी एवं नन्दकिशोर तीनों

के द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश किया गया है और न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.04.1990से सहायक कलक्टर मुख्यालय कोटा के निर्णय दिनांक 07.11.1987 को अपास्त किया है और हमीद को 06 बीघा 10 बिस्वा आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया गया है । एक अन्य निर्णय की प्रति पत्रावली में संलग्न है जो सहायक कलक्टर मु0 कोटा के द्वारा पारित किया गया है । यह निर्णय दिनांक 22.09.1987 का है जो पार्वती के द्वारा पेश किये गये दावा संख्या 159/86 में पारित किया गया है। यह दावा पार्वती बाई के द्वारा रामदेव एवं हजारी के खिलाफ पेश किया गया है । इस दावे के आधार पर सहायक कलक्टर मु0 कोटा ने खसरा नम्बर 347 की 03 बीघा 15 बिस्वा आराजी का वादिनी पार्वती बाई को खातेदार घोषित किया गया है । पत्रावली पर विकय पत्र दिनांक 11.06.1971 की प्रति भी संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 347 की 08 बीघा 15 बिस्वा में से 05 बीघा आराजी का विकय मोहन लाल को किया गया है यह विकय दिनांक 11.06.1971 को निष्पादित किया गया है । इसके अलावा सहायक कलक्टर कोटा के निर्णय दिनांक 06.10.2000 प्रकरण संख्या 131/95 की प्रति भी पत्रावली पर संलग्न है जिसके अनुसार सरकार के द्वारा रामदेव के खिलाफ पेश किये गये धारा 175 के दावे को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है । इसमें मोहनलाल की उपस्थिति के हस्ताक्षर भी कराये गये हैं । एक अन्य निर्णय उपखण्ड अधिकारी कोटा दिनांक 19.01.2004 की फोटो प्रति पेश की गई है जिसमें सरकार के द्वारा पेश किये गये धारा 175 के दावे को जो कि रामदेव एवं मोहनलाल के खिलाफ पेश किया गया है जिसको खारिज किया गया है ।

28. पत्रावली संख्या 46/2019 का अवलोकन किया गया । इसमें वादीगण के द्वारा खसरा नम्बर 108 की 05 बीघा, खसरा नम्बर 345 की 14 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 346 की 06 बीघा, खसरा नम्बर 345/422 की 04 बीघा 10 बिस्वा कुल 25 बीघा आराजी के लिए दावा यह कथन करते हुए पेश किया गया है कि यह आराजी मोडूलाल के 03 पुत्र रामदेव, हजारी लाल एवं नन्दकिशोर के खाते में थी । नन्दकिशोर लाऔलात फौत हुए हैं । वादग्रस्त आराजी में वादीगण हजारी लाल एंव रामदेव के वारिसों का 1/2 – 1/2 हिस्सा निहित है । आराजी पुश्तैनी है । सेटलमेंट विभाग ने त्रुटिपूर्ण रूप से हाल खसरा नम्बर 154 के आलावा शेष आराजियात प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज कर दी गई है । दावे में प्रतिवादीगण की ओर से आदेश 07 नियम 11 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसका जवाब वादीगण की ओर से पेश किया गया है । दावे में प्रतिवादीगण की ओर से आशू एवं अन्य के द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष पेश की गई अपील की प्रति, नामान्तरकरण संख्या 53 की प्रति जिसके अनुसार उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 14.09.1970 की पालना में खसरा नम्बर 345 की 14 बीघा 05 बिस्वा आराजी जमाल, छोटू आत्मज चांद खॉं के खाते में दर्ज करने के आदेश हुए हैं । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 19.01.2019 की प्रति और फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 जिसके अनुसार छोटे खॉं के खाते में कुल 07 किता की 6.34 हैक्टर आराजी दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 जिसमें छोटे खॉं एवं बाबू हुसैन के खाते में कुल 02 किता की 0.32 हैक्टर आराजी दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 जिसके अनुसार बाबू हुसैन के खाते में 03 किता की कुल 2.88 हैक्टर आराजी दर्ज है । एक विकय पत्र की फोटो प्रति भी पेश की गई है और सहायक कलक्टर कोटा के निर्णय दिनरांक 22.09.1987 की प्रति भी पेश की गई है जिसके अनुसार पार्वती बाई को खसरा नम्बर 346 की 06 बीघा आराजी का खातेदार घोषित किया गया है । पार्वती बाई के द्वारा पेश किये गये दावे एवं हजारी लाल एवं रामदेव के द्वारा पेश किये गये इकबाली जवाब की प्रति भी पेश की गई है । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष सहायक कलक्टर कोटा के निर्णय के खिलाफ पेश की गई अपील

की प्रति भी पेश की गई है । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.02.2018 को सहायक कलक्टर के निर्णय दिनांक 22.09.1987 को बहाल रखा गया है, व अपील खारिज की गई है।

29. इस प्रकार अपील संख्या 78/2019 में जो वादग्रस्त आराजी है उनमें से खसरा नम्बर 347 की रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा के लिए सहायक कलक्टर, कोटा के द्वारा पार्वती बाई को खातेदार घोषित किया गया है और न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में यह आराजी उनके खाते मे दर्ज की गई है और हमीद के खाते में खसरा नम्बर 347/421 की 06 बीघा 15 बिस्वा आराजी न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 26.04.1990 से दर्ज हुई है । इसके अलावा खसरा नम्बर 347 की 05 बीघा आराजी रामदेव के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मोहन लाल को विक्रय की गई है और इसके लिए धारा 175 की कार्यवाही सहायक कलक्टर के द्वारा खारिज की जा चुकी है ।

30. प्रकरण संख्या 46/2019 में पार्वती बाई के खाते में खसरा नम्बर 346 की 06 बीघा आराजी सहायक कलक्टर कोटा के निर्णय दिनांक 22.06.87 से दर्ज हुई है । इसके खिलाफ अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के द्वारा दिनांक 16.02.2018 को खारिज की जा चुकी है और जमाल व छोटू के खाते में साबिक खसरा नम्बर 345 की 14 बीघा 05 बिस्वा आराजी उपखण्ड अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 14.09.1970 से दर्ज की गई है जिसके खिलाफ अपील दिनांक 29.01.2019 को खारिज की जा चुकी है ।

31. इन समस्त तथ्यों को छुपाकर वादीगण ने यह दावे पेश किये हैं और उसमें यह कथन किया है कि सेटलमेंट विभाग ने त्रुटिपूर्ण रूप से यह आराजी प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज की है । इस प्रकार वादीगण क्लीन हैण्ड से नहीं आये हैं और जो व्यक्ति क्लीन हैण्ड से नहीं आता है वह न्यायालय से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है । धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रामदेव एवं मोहन लाल के खिलाफ पेश किये गये प्रकरण संख्या 131/95 को उपखण्ड अधिकारी कोटा ने दिनांक 19.01.2004 को खारिज किया है । वादीगण के द्वारा इन समस्त तथ्यों को छुपाकर यह दावे पेश किये गये हैं जबकि वादीगण को पूर्व में सहायक कलक्टर कोटा, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा एवं उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा जो निर्णय पारित किये गये हैं उनसे यदि अप्रसन्नता है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में अपील पेश करनी चाहिए न कि हक घोषणा का नया दावा । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्धरत नजीर डीएनजे 2017 (1) पेज 01 यहाँ चस्पा होती है जिसमें माननीय उच्च न्यायलय के द्वारा यह होल्ड किया गया है कि यदि वादपत्र सख्ती से आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत नहीं आता है तो उसको धारा 151 सीपीसी के तहत खारिज किया जा सकता है । तुच्छ एवं परेशान करने वाले दावे को शुरू से ही दबा देना चाहिए । आरएलडब्ल्यू 2008 (2) पेज 1390 भी यहाँ चस्पा होती है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा होल्ड किया गया है कि यदि दावा विधि एवं न्यायालय की प्रकिया का दुरूपयोग करता है और उसे आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज नहीं किया जा सकता तो न्यायालय असहाय नहीं है धारा 151 की शक्तियों का प्रयोग करके खारिज किया जा सकता है । इसी प्रकार डीएनजे 2020 पेज 826 में माननीय उच्च न्यालय द्वारा यह होल्ड किया गया है कि Vexatious दावा धारा 151 के तहत खारिज किया जा सकता है । माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आरबीजे 2017 पेज 751 में यह होल्ड किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा पेश ऐसे दस्तावेज जिनके बाबत् किसी प्रकार का विवाद नहीं किया जा सकता उनका अवलोकन आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में किया जा सकता है ।

इस नजीर के परिप्रेक्ष्य में रेस्पोडेन्ट के द्वारा पेश किये न्यायालय के निर्णयों, विकय पत्रों एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । जहॉ तक विद्वान् अपीलान्ट के द्वारा पेश किये गये भू–प्रबन्ध विभाग के निर्णय की प्रति दिनांक 10.03.1986 का प्रश्न है इसमें खसरा नम्बर 346 के बाबत् खोले गये नामान्तरकरण को निरस्त किया गया है परन्तु खसरा नम्बर 346 के बाबत् सहायक लक्टर कोटा के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.09.1987 पार्वती बाई को खातेदार घोषित किया गया है और न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.04.1990 से हमीद को खसरा नम्बर 347/421 की 06 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार घोषित किया गया है । ऐसी स्थिति में जब कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हक घोषणा का दावा पार्वती बाई एवं हमीद के पक्ष में निर्णित किया जा चुका है तो नामान्तकरण के कम में भू–प्रबन्ध अधिकारी के इस निर्णय से पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व पर कोई प्रभाव नहीं पडता है क्योंकि नामान्तरकरण खोला जाना एक फिसकल प्रकिया है । विद्वान् रेस्पोडेन्ट द्वारा उद्वरत नजीर आरआरडी 1994 पेज 59 यहॉ चस्पा होती है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्टगण रामदेव के वारिस हैं और रामदेव के द्वारा प्रतिफल प्राप्त कर वादग्रस्त आराजी विकय की जा चुकी है और रामदेव के द्वारा सहायक कलक्टर कोटा एवं उपखण्ड अधिकारी कोटा के न्यायालय में पेश किये इसके दावों में इकबाली जवाब भी पेश किया गया है । ऐसी स्थिति में रामदेव के वारिसों को उनके पिता के द्वारा किये गये विकय की आराजी के बाबत् दावा पेश करने का कोई अधिकार नहीं बनता है । यदि विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के इस कथन को तर्क के लिए सही मान लिया जावे कि धारा 42 बी के उल्लंघन में विकय हुआ है तो भी ऐसी स्थिति में विकेता के वारिसों को उस आराजी को पुनः प्राप्त करने का काई अधिकार नहीं रहता है । सरकार के द्वारा धारा 175 की कार्यवाही की जा सकती है जिसके लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार स्वतंत्र है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारारा उद्वरत नजीर डीएनजे 2016 (एससी) पेज 258 भी यहॉ चस्पा होती है जिसके अनुसार रामदेव को यह सम्पत्ति धारा 08 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त हुई है जिसके वो तन्हा मालिक थे और उन्हें विकय करने का अधिकार था । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्वरत नजीरें इस तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यहॉ चस्पा नहीं होती है । तद्नुसार परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दोनों दावों को खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

32. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 2020/00095 एंव 2020/00096 खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2020 प्रकरण संख्या 78/2019 एवं 46/2019 बहाल रखे जाते हैं ।

33. निर्णय आज दिनांक 06.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/8/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Partt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2020/00095

1. बबली आयु 38 वर्ष पुत्री रामदेव पत्नी घांसी लाल जाति चमार मेघवंशी निवासी रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. कमलेश आयु 40 वर्ष पुत्री रामदेव पत्नी गोपाल जाति चमार मेघवंशी निवासी मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. टोनी पुत्र सुमित्रा दोहिता रामदेव आयु 25 वर्ष ।
4. कालू उर्फ कृष्णमुरारी आयु 23 वर्ष पुत्र सुमित्रा दोहिता रामदेव जाति चमार मेघवंशी निवासी भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. सरोज पुत्री सुमित्रा दोहिती रामदेव जाति चमार मेघवंशी निवासी भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. मोहन लाल पुत्र धूल्या जाति धाकड ।
2. हमीद पुत्र मोहम्मद जाति मुसलमान निवासीगण रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. सीताराम पुत्र देवलाल जाति मेहर निवासी देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. रामेश्वर प्रसाद पुत्र पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
5. ओमप्रकाश पुत्र पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
6. माधो लाल पुत्र पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
7. महावीर प्रसाद पुत्र पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
8. धन्नी बाई पुत्री पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
9. कमला बाई पुत्री पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
10. सुशीला बाई पुत्री पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली निवासीगण रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
11. आशू पुत्र रामदेव जाति चमार मेघवंशी निवासी रंगतालाबि उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
12. हजारी लाल पुत्र मोडू लाल जाति चमार मेघवंशी निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
13. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

—प्रत्यर्थी

संख्या : 2020/00096

1. बबली आयु 38 वर्ष पुत्री रामदेव पत्नी घांसी लाल जाति चमार मेघवंशी निवासी रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. कमलेश आयु 40 वर्ष पुत्री रामदेव पत्नी गोपाल जाति चमार मेघवंशी निवासी मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. टोनी पुत्र सुमित्रा दोहिता रामदेव आयु 25 वर्ष ।
4. कालू उर्फ कृष्णमुरारी आयु 23 वर्ष पुत्र सुमित्रा दोहिता रामदेव जाति चमार मेघवंशी निवासी भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. सरोज पुत्री सुमित्रा दोहिती रामदेव जाति चमार मेघवंशी निवासी भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. बाबू हुसैन
2. बशीर मोहम्मद
3. नजीर मोहम्मद
4. अब्दुल सलाम पिसरान जमाल खॉं जाति मुसलमान निवासी रंगतालाब उर्फ काला तालाब लाडपुरा जिला कोटा ।
5. रूक्कन बानो पुत्री ईदा बानो बेवा जमाल खॉं ।
6. शरीफ मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद ।
7. सलीम मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी रंग तालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. नसीम बानो पुत्री शकूरन बानो बेवा नूर मोहम्मद ।
9. शमीम बानो पुत्री शकूरन बानो बेवा नूर मोहम्मद ।
10. छोटू पुत्र चांद खॉं जाति मुसलमान निवासीगण रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
11. मोहन लाल पुत्र धूल्या जाति धाकड ।
12. रामेश्वर प्रसाद पुत्र पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
13. ओमप्रकाश पुत्र पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
14. माधो लाल पुत्र पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
15. महावीर प्रसाद पुत्र पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
16. धन्नी बाई पुत्री पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
17. कमला बाई पुत्री पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
18. सुशीला बाई पुत्री पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली निवासीगण रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

19. आशू पुत्र रामदेव जाति चमार मेघवंशी निवासी रंगतालाबि उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
20. हजारी लाल पुत्र मोडू लाल जाति चमार मेघवंशी निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
21. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2020 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 78/दावा/2019

1. हजारी लाल पुत्र मोडू लाल जाति चमार मेघवंशी निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. कमलेश आयु 40 वर्ष पुत्री रामदेव पत्नी गोपाल जाति चमार मेघवंशी निवासी मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. बबली आयु 38 वर्ष पुत्री रामदेव पत्नी घांसी लाल जाति चमार मेघवंशी निवासी रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. टोनी पुत्र सुमित्रा दोहिता रामदेव आयु 25 वर्ष ।
5. कालू उर्फ कृष्णमुरारी आयु 23 वर्ष पुत्र सुमित्रा दोहिता रामदेव जाति चमार मेघवंशी निवासी भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. सरोज पुत्री सुमित्रा दोहिती रामदेव जाति चमार मेघवंशी निवासी भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. मोहन लाल पुत्र धूल्या जाति धाकड ।
2. हमीद पुत्र मोहम्मद जाति मुसलमान निवासीगण रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. सीताराम पुत्र देवलाल जाति मेहर निवासी देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. रामेश्वर प्रसाद पुत्र पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
5. ओमप्रकाश पुत्र पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
6. माधो लाल पुत्र पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
7. महावीर प्रसाद पुत्र पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
8. धन्नी बाई पुत्री पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
9. कमला बाई पुत्री पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।

10. सुशीला बाई पुत्री पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली निवासीगण रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
11. आशू पुत्र रामदेव जाति चमार मेघवंशी निवासी रंगतालाबि उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
12. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

---प्रतिवादी

वाद संख्याः 46/दावा/2019

1. हजारी लाल पुत्र मोडू लाल जाति चमार मेघवंशी निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. कमलेश आयु 40 वर्ष पुत्री रामदेव पत्नी गोपाल जाति चमार मेघवंशी निवासी मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. बबली आयु 38 वर्ष पुत्री रामदेव पत्नी घांसी लाल जाति चमार मेघवंशी निवासी रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. टोनी पुत्र सुमित्रा दोहिता रामदेव आयु 25 वर्ष ।
5. कालू उर्फ कृष्णमुरारी आयु 23 वर्ष पुत्र सुमित्रा दोहिता रामदेव जाति चमार मेघवंशी निवासी भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. सरोज पुत्री सुमित्रा दोहिती रामदेव जाति चमार मेघवंशी निवासी भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---वादी

बनाम

1. बाबू हुसैन
2. बशीर मोहम्मद
3. नजीर मोहम्मद
4. अब्दुल सलाम पिसरान जमाल खॉ जाति मुसलमान निवासी रंगतालाब उर्फ काला तालाब लाडपुरा जिला कोटा ।
5. रूक्कन बानो पुत्री ईदा बानो बेवा जमाल खॉ ।
6. शरीफ मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद ।
7. सलीम मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी रंग तालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. नसीम बानो पुत्री शकूरन बानो बेवा नूर मोहम्मद ।
9. शमीम बानो पुत्री शकूरन बानो बेवा नूर मोहम्मद ।
10. छोटू पुत्र चांद खॉ जाति मुसलमान निवासीगण रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
11. मोहन लाल पुत्र धूल्या जाति धाकड ।
12. रामेश्वर प्रसाद पुत्र पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।

13. ओमप्रकाश पुत्र पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
14. माधो लाल पुत्र पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
15. महावीर प्रसाद पुत्र पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
16. धन्नी बाई पुत्री पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
17. कमला बाई पुत्री पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली ।
18. सुशीला बाई पुत्री पार्वती बाई पत्नी सूरजमल जाति माली निवासीगण रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
19. आशू पुत्र रामदेव जाति चमार मेघवंशी निवासी रंगतालाबि उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
20. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2020 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 06.08.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से श्री शम्भूदयाल विजय एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से नरेन्द्र गुप्ता एवं श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 2020/00095 एंव 2020/00096 खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2020 प्रकरण संख्या 78/2019 एवं 46/2019 बहाल रखे जाते हैं ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 06.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

6/8/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा